

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3630
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षण पदों के विरुद्ध अतिथि संकाय पर निर्भरता

†3630. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त शिक्षण पदों के विरुद्ध अतिथि संकाय पर बढ़ती निर्भरता, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार की असुरक्षा, मानदेय में असमानता तथा सेवा शर्तों में एकरूपता का अभाव उत्पन्न हुआ है, का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ऐसी नियुक्तियों पर लंबे समय तक निर्भरता के कारण वित्तीय असुरक्षा, अध्यापन अनुभव की मान्यता संबंधी अनिश्चितता उत्पन्न हुई है तथा शैक्षणिक निरंतरता एवं संकाय के प्रतिधारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के परामर्श से, न्यूनतम सेवा शर्तों, समान एवं न्यायसंगत मानदेय, पारदर्शी नियुक्ति मानदंड तथा नियमित रिक्तियों को समयबद्ध रूप से भरने का प्रावधान करने हेतु एक समान राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव रखती है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची के तहत एक विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है तथा शिक्षण संकाय की नियुक्ति सहित उनके प्रशासनिक और सेवा संबंधी मामले संबंधित राज्य अधिनियमों, संविधियों, नियमों और विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। राज्य

सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में संकाय पदों की भर्ती करना और उन्हें भरना संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) सहित सभी केन्द्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थाएं (सीएचईआई) विभिन्न पद्धतियों/प्रक्रियाओं को अपनाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तदर्थ संकाय, अतिथि संकाय, संविदा संकाय और पुनः नियोजित शिक्षकों को नियुक्त करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया प्रभावी तरीके से की जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में अतिथि संकाय की नियुक्ति और मानदेय के लिए दिनांक 28.01.2019 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह विश्वविद्यालयों को समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और उनके रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए नियमित रूप से अनुदेश जारी करता है। इसने संकाय भर्ती के लिए एक सामान्य पोर्टल 'सीयू-चयन' भी शुरू किया है, जिससे सभी सीयू में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है, इस प्रकार पूरी भर्ती प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है।

शिक्षा मंत्रालय ने सीयू सहित सभी सीएचईआई को मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया था। सितम्बर 2022 से और दिनांक 23.05.2026 तक, मिशन मोड में संकाय पदों सहित सभी सीएचईआई द्वारा कुल 32114 पदों को भरा गया है। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने दिनांक 28.10.2025 को सभी राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों को आवंटित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की इष्टतम संख्या में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक पत्र भी लिखा है।
